

## न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024 / 342

1. गुलाब चन्द पुत्र सुन्दर लाल जाति रैगर निवासी भैरूपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

—अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर।

—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 27.05.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी विराटनगर प्रार्थना पत्र संख्या 113/2021 बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम गुलाबचन्द।

उपस्थित—

1. श्री गुलाब चन्द बारोलिया वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—17.06.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान के निर्णय दिनांक 27.05.2022 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा-5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम भैरूपुरा तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड स्थित आराजी खसरा नंबर 291/0.44 में से 0.02 है0 भूमि के संबंध में तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 27.05.2022 को दिये गये।

  
संभागीय आयुक्त  
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 27.05.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट गुलाब चन्द पुत्र सुन्दर लाल जाति रैगर द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं

अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड  
दिनांक 27.05.2022 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम भैरूपुरा तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड स्थित आराजी खसरा नंबर 289 रकबा 0.1700, खसरा नंबर 291 रकबा 0.4400 है0 कुल खसरा नं. 2 कुल किता 0.6100 है0 खातेदार सुन्दर पुत्र रूपा कौम रैगर सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। खातेदार सुन्दर पुत्र रूपा की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण उसके वारिसान् गुलाबचन्द, पूरण, बनवारी, मदन, नाथूराम, सुवालाल पुत्रान् सुन्दरलाल, गीता, मीरा पुत्रीयान् सुन्दरलालके नाम खोला गया। अपीलांट अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रिकार्डेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार-विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलार्थी की उक्त आराजीयात् कृषि भूमि में से आज दिनांक तक किसी भी तरह का कोई आम रास्ता या सडक नहीं है। आमजन के आवागमन हेतु अपीलार्थी की उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता ना तो राजस्व रिकार्ड में व ना ही मौके पर अवस्थित है। ग्राम भैरूपुरा व नौरंगपुरा गांव से मुख्य डामर सडक विराटनगर जाती है। इस मुख्य डामर सडक से सरपंच ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पटवारी हल्का व तहसीलदार से गलत तरीके से खसरा नं. 291 में से रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट व अन्य खातेदार को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। मौका फर्द में सरपंच ग्राम पंचायत/वार्ड पंच एवं खातेदारान की उपस्थिति में मौका दिनांक 10.11.2021 को देखना बताया गया है। जबकि फर्द मौका रिपोर्ट पर किसी भी खातेदार के हस्ताक्षर नहीं है। फर्द मौका रिपोर्ट पर केवल पटवारी हल्का, गिरदावर तथा सरपंच के हस्ताक्षर है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि हल्का पटवारी व भू0अ0 निरीक्षक द्वारा मौके पर जाँच किये बिना ही तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 10.11.2021 के आधार पर अपीलान्ट की

  
समागीय आयुक्त  
जयपुर

खातेदारी में सेनया रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131-132 तथा भू-राजस्व नियम 58 से 60 के अंतर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उक्त कार्यवाही के समय खातेदार को बिना सुने उनकी खातेदारी भूमि में गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे। अपीलार्थी की भूमि में कभी कोई रास्ता नहीं रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है एवं मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जाँच व अवलोकन किये बिना एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड दिनांक 27.05.2022 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार विराटनगरने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू एवं आमजन हेतु काम आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार के प्रस्ताव के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू-राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रक्रिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 29.07.2024 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांत द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर द्वारा प्रश्नगत आराजीके संबंध में तहसीलदार

  
समागीय आयुक्त  
जयपुर

विराटनगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर ही प्रभावित खातेदारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकपक्षीय रूप से निजी खातेदारी की भूमि किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु० रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 27.05.2022 को दिये गये हैं। चूंकि अपीलार्थी खसरा नम्बर 291/0.44 का रिकार्डेड सह खातेदार हैं एवं अपीलार्थी को कोई सुनवाई, सबूत, साक्ष्य एवं दस्तावेजात् इत्यादि प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया है। विधिनुसार रिकार्डेड खातेदारों को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना एकपक्षीय रूप से उसकी खातेदारी की आराजी में से रास्ता कायम करना नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण विधिसम्मत नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ते के संबंध में किसी प्रकार का कोई सहमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाना उचित समझते हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला कोटपूतली-बहरोड का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई, साक्ष्य एवं दस्तावेजात् इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।



(पूनम)

संभागीय आयुक्त  
संभागीय आयुक्त  
जयपुर  
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



संभागीय आयुक्त  
संभागीय आयुक्त  
जयपुर  
जयपुर